न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 41/2019 निर्णय दिनांक 25.10.2019

लालचन्द पुत्र गणेशाराम ब्राहम्ण निवासी बींझासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

--------प्रार्थी

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

---------अप्रार्थी

उपस्थिति–

1. श्री कैलाश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र लालचन्द ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव बींझासर तहसील श्री डूँगरगढ का मूल निवासी है जिसकी पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 705/205 पुराना तादादी 45 बीघा 2 बिस्वा रोही ग्राम बींझासर में स्थित है । जिसके नये खसरा नम्बर 321 रकबा 11.41 हैक्टयर गत सेटलमेन्न्ट में कायम किये गये । उपरोक्त वर्णित खेत यखसरा नम्बर 705/205 पुराना तादादी 45 बीघा 2 बिस्वा रोही ग्राम बींझासर में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र गणेशाराम ब्राहम्ण निवासी बींझासर सम्वत 2047 से 2050की जमाबंदी में सही दर्ज चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड इन्तकाल 998 दिनांक 20.6.2092 जो कि सह खातेदारों के परित्याग के आधार पर दर्ज किया गया में रिकार्ड मेन्टेनकर्ता द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम लालचन्द के स्थान पर बालचन्द दर्ज कर दिया गया है जिसे रिकार्ड दुरूस्ती के जरिये प्रार्थी अपना सही नाम लालचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है । सम्वत 2047 से 2050 के मध्य हुई लिपिकीय त्रुटि का अंकन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2060 की सेटलमेन्ट में मिसल बन्दोबस्त में भी प्रार्थी का नाम बालचन्द दर्ज कर दिया । इसलिए मिसल बन्दोबस्त में दर्ज रिकार्ड को दुरूस्त करने का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खेत खसरा नम्र 321 रकबा 11.41 हैक्टयर रोही ग्राम बींझासर में अंकित प्रार्थी का नाम बालचन्द के स्थान पर लालचन्द पुत्र गणेशाराम दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिय तलब किया गया । अप्रार्थी स्टेट की तरफ से जबाब पेश किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 11.41 हैक्टयर रोही ग्राम बींझासर में अंकित प्रार्थी का नाम बालचद के स्थान पर लालचन्द पुत्र गणेशाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बींझासर दर्ज किया जाना उचित है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

आदेश

ग्राम बींझासर तहसील श्री डूँगरगढ के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 11.41 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी लालचंद के स्थान पर बालचंद अंकित है उसके स्थान पर लालचंद अंकित करने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार शुद्धि करें ।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.21 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: